झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, रांची – 834001

विज्ञापन

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि–12 / 11 / 2019

विज्ञापन संख्या–07 / 2019

झारखण्ड राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के विभिन्न पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्रांक–354(9) दिनांक–22.08.2019 एवं पत्रांक–376(9) दिनांक–04.09.2019 द्वारा राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों के विभिन्न विभाग में सहायक प्राध्यापक के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रेषित अधियाचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित–प्रपत्र में Online आवेदन पत्र (आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध) आमंत्रित किये जाते हैं।

विभागावार / कोटिवार अधियाचित रिक्तियों की विवरणी निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	विभाग का नाम	कोटि						
		UNR	**ST**	**SC**	**BC-I**	**BC-II**	**EWS**	**Total**
1.	ऐनाटोमी	-	-	01	01	-	01	03
2.	फिजियोलॉजी	-	02	01	-	-	-	03
3.	बायोकेमिस्ट्री	-	-	01	-	-	-	01
4.	पैथौलोजी	-	-	-	01	-	01	02
5.	माईक्रोबायोलॉजी	-	-	01	-	-	-	01
6.	एफ0एम0टी0	-	-	-	01	-	-	01
7.	फर्माकलोजी	-	01	-	-	-	-	01
8.	पी0एस0एम0	-	02	01	-	01	01	05
9.	औषधि	-	-	03	02	-	02	07
10	टी0बी0 चेस्ट	-	02	01	01	-	-	04
11.	शिशु रोग	-	-	-	-	-	01	01
12.	सर्जरी	-	-	-	01	-	02	03
13.	अस्थि	-	01	01	01	01	01	05
14.	ई0एन0टी0	-	-	-	02	-	01	03
15.	नेत्र	-	02	-	01	-	01	04
16.	स्त्री एवं प्रसव	-	01	-	01	-	01	03
17.	रेडियोलॉजी	-	01	01	01	-	-	03
18.	रेडियोथेरेपी	-	03	01	01	-	-	05
19.	निश्चेतना	-	04	02	02	01	02	11
20.	रक्त अधिकोष	-	-	-	01	-	-	01
21.	चर्म एवं यौन रोग	-	02	01	01	-	01	05
22.	मनो रोग	-	02	01	01	-	-	04
23.	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन	01	01	-	01	-	-	03
	Total	**01**	**24**	**16**	**20**	**03**	**15**	**79**

नोटः– (a) कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

(b) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा प्रावधानित क्षैतिज आरक्षण का लाभ महिला–5 प्रतिशत, खेल कूद–2 प्रतिशत, नि शक्तजनों को 4 प्रतिशत का अनुमान्य होगा। इसके अतिरिक्त कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–5555 दिनांक–28.06.2016 के अनुसार आदिम जनजातियों को न्यूनतम 2 प्रतिशत पद देय होगा, जो अनुसूचित जनजाति के लिए चिन्हित् पदों में से क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत विनियमित होगा।

3. वेतनमान – **PB-III,** रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन रू0 – 6600
4. पद – स्थायी
5. परीक्ष्यमान अवधि – 2 (दो) वर्ष
6. **(i) अनिवार्य अर्हत्ता–** Board of Governors in supersession of Medical Council of India, Notification No- 142810 dt. 31.10.2018 में अंकित प्रावधान के आलोक में:–

Post	Academic Qualification	Teaching & Research Experience
Assistant Professor	A Post Graduate Qualification MD/MS/DNB in the concerned subject and as per the TEQ regulations.	3 Years Junior Resident in a recognized/permitted Medical College in the concerned subject and One year as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/permitted Medical College. In case of DNB candidate equated to MD/MS in terms of clause 4A of Schedule-I, in addition to 3 year teaching experience in the subject as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor/or work experience gained during DNB training, one year as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/Permitted Medical College.

(ii) "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998", में अनुसूची–। में क्रम संख्या 4 के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा :–

"4क. एमडी / एमएस के साथ डीएनबी (सामान्य विशेषज्ञताएं) और डीएम / एम.सीएच के साथ डीएनबी (अति विशेषज्ञताएं) की शैक्षिक योग्यता की समतुल्यता का निर्धारण।

(क) ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने किसी ऐसे संस्थान में डीएनबी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जो अब किसी विशेष विषय में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री पाठयक्रम चलाता है, की डीएनबी शैक्षिक योग्यताओं को केवल उसी विषय में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक योग्यताओं के समतुल्य माना जाएगा।

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने विभिन्न स्नातकोत्तर / अतिविशेषज्ञता अध्यापन कार्यक्रमों में शामिल, कम से कम 500 बिस्तरों वाले बहु विशेषज्ञता अध्यापन अस्पताल में डीएनबी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, बशर्ते कि तीन डीएनबी पर्यवेक्षकों (अध्यापकों) में से एक अपनी पिछली नियुक्ति में भारतीय आर्युविज्ञान परिषद् के विनियमों के अनुसार स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में अर्हता प्राप्त करता / करती है और बाकी दो में एक को अध्यापन बिस्तर की निम्नलिखित शर्तों के साथ भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की विनियमों के अनुसार स्नातकोत्तर के रूप में अर्हता प्राप्त करनी चाहिए।

स्नातकोत्तर सामान्य विशेषज्ञताएं:30 बिस्तर प्रति इकाई } **50 प्रतिशत बिस्तर, अध्यापन**

स्नातकोत्तर अति विशेषज्ञताएं :20 बिस्तर प्रति इकाई } **बिस्तर होने चाहिए।**

ऐसे किसी शैक्षिक योग्यता को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक योग्यता माना जाएगा।

(ग) ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास रेजीडेंट/रजिस्ट्रार/प्रदर्शक/टयूटर के रूप में विषय में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव है या अन्य स्थानों/संस्थानों (100 या इससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों) में सामान्य विशेषज्ञताओं और अति विशेषज्ञताओं दोनो में डीएनबी प्रशिक्षण के दौरान कार्य अनुभव प्राप्त किया है, वे एमडी/एमएस/डीएम/एम.सीएच. के साथ समतुल्यता के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त किसी संस्थान में एक वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में अतिरिक्त एक वर्ष के लिए कार्य करेंगे।

(घ) ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास रेजीडेंट/रजिस्ट्रार/प्रदर्शक/टयूटर के रूप में विषय में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव है या उप खंडों (क) से (ग) में कवर न किए गए किसी संस्थान में सामान्य विशेषज्ञता और अति विशेषज्ञताओं दोनो पाठ्यक्रम में डीएनबी प्रशिक्षण के दौरान या डीएनबी शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के पश्चात कार्य अनुभव प्राप्त किया है, वे एमडी/एमएस/डीएम/एम.सीएच. के साथ समतुल्यता के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त किसी संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेंट अनुसंधान एसोसिएट (सीएसआईआर) के रूप में दो अतिरिक्त वर्ष के लिए कार्य करेंगे।

(iii) "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" में अनुसूची–I में, दिनांक–05.06.2017 की अधिसूचना के अंतर्गत यथासंशोधित खंड 6 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।

"कुल आठ वर्ष का अध्यापन अनुभव, रखने वाले, किसी मेडिकल कॉलेज या संस्थान में अध्यापकों को सामान्य विशेषज्ञताएं स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में मान्यता दी जाएगी, जिसमें कम से कम चार वर्ष का अध्यापन अनुभव, स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् प्राप्त किया गया हो, अनुक्रमित जरनलों में दो अनुसंधान प्रकाशनों के साथ सहायक प्रोफेसर के रूप में हो, अति विशेषज्ञताओं के मामले में केवल उन्हीं अध्यापकों का स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में मान्यता दी जाएगी, जिनके पास 6 वर्ष का अध्यापन अनुभव हो जिनमें से दो वर्ष का अध्यापन अनुभव, उच्चतर विशेषज्ञता डिग्री प्राप्त करने के पश्चात प्राप्त किया गया, सहायक प्रोफेसर के रूप में हो।"

नोटः– झारखण्ड स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत चिकित्सकों पर भी भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित उपर्युक्त मापदण्ड ही लागू होंगे।

7. **उम्र गणना की तिथिः–01.08.2019**

(a) **न्यूनतम उम्र सीमा** :– **30 वर्ष।**

(b) **अधिकतम उम्र सीमा** :– झारखण्ड चिकित्सा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2018 के अनुरूप अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा
1.	अनारक्षित	45 वर्ष
2.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)	47 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित /अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)	48 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	50 वर्ष

नोटः–झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्सकों के लिए उम्र सीमा का बंधेज नहीं होगा। इसके लिए नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

(c) दिव्यांगों को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 05 वर्षों की छूट देय है।